पोर्टेबल मत्स्य हैचरी के संचालन का **Blue Print**

राज्य में मत्स्य स्पॉन की निर्भरता अन्य राज्यों पर कम करने के उद्देश्य से मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड राँची द्वारा राज्य के विभिन्न जलाशयों/सदाबहार जलकरों के समीप/उपयुक्त मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों पर हैचरी संचालन की योजना है। योजनान्तर्गत प्रति इकाई एक पोर्टेबल हैचरी का अधिष्ठापन (जलापूर्ति के साथ), एक मॉडल शेल्टर हाउस का निर्माण एवं अन्य कार्य निदेशित है।

समुचित पानी वाले स्थलों यथा जलाशयों/सदाबहार जलकरों अथवा मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों पर हैचरी अधिष्ठापन से अधिक सफलतापूर्वक हैचरी संचालन किया जा सकेगा। इसी उद्देश्य से हैचरी संचालन में प्रयुक्त आवश्यक कॉम्पोनेन्ट्स एवं आधारभूत संरचनाएँ का समुचित पानी वाले सुयोग्य स्थलों पर आवश्यकतानुसार अधिष्ठापन कराया जाएगा। अतः हैचरी अधिष्ठापन के लिए स्थल चयन हेतु समुचित पानी की उपलब्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

2. प्रत्येक स्थल पर एक पोर्टेबल हैचरी इकाई के अधिष्ठापन हेतु मुख्य कम्पोनेन्ट्स की सूची निम्न प्रकार है -

क. पोर्टेबल हैचरी कॉमप्लेक्स जिसका प्राक्कलन संलग्न है। (अनु0 क)
ख. हैचरी में जलापूर्ति हेतु 02 पम्प सेट तथा विद्युत आपूर्ति आदि
ग वर्किंग शेड
घ. सोलर लाईट तथा डॉमेस्टिक सोलर लाईट
ङ. वॉटर फिल्ट्रेशन प्लान्ट
च. अन्य इनपुट आदि

3. स्थल चयन

(i) जलाशय/ सदाबहार जलकरों के समीप पोर्टेबल हैचरी अधिष्ठापन हेतु स्थल चयन-

क. समुचित पानी की उपलब्धता वाले जलाशय/सदाबहार जलकर।
ख. बरसात में जलाशय/सदाबहार जलकर का अधिकतम जलस्तर के उपर अधिष्ठापन हेतु स्थल।
ग. चयनित स्थल पर पोर्टेबल हैचरी के अन्य कम्पोनेन्ट्स के निर्माण/अधिष्ठापन कार्य हेतु सरकारी भूमि की उपलब्धता।
घ. विद्युत आपूर्ति/पहुँच पथ।

क्रमांक क एवं घ को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

(ii) पोर्टेबल हैचरियों का अधिष्ठापन सामान्यतः जलाशयों/सदाबहार जलकर के आस-पास होगा तथा हैचरी संचालन का कार्य मौसमी होने के कारण शेष महीनों में इसका कार्य बन्द रह जाता है। ऐसे में इसकी सुरक्षा हेतु भी स्थानीय व्यक्तियों की भागीदारी लेना आवश्यक है। योग्य स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादक/ मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के माध्यम से हैचरी का संचालन सम्भव हो सके तो इस तथ्य को भी स्थल चयन में ध्यान रखा जाएगा।

4. हैचरी संचालकों का चयन : हैचरी अधिष्ठापन के स्थल के समीप निवास करने वाले मत्स्य बीज उत्पादकों/ मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के माध्यम से हैचरी संचालन कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि हैचरी संचालन बन्द रहने की स्थिति में भी सरकारी संसाधन सुरक्षित रहे।

5. हैचरी संचालकों का प्रशिक्षण : चयनित मत्स्य बीज उत्पादकों/ मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के लिए पोर्टेबल हैचरियों के संचालन हेतु राज्य स्तरीय पाँच दिवसीय प्रशिक्षण (दो स्लॉट्स) में आयोजित किया जाएगा। सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी चयनित व्यक्तियों को माह-नवम्बर के प्रथम सप्ताह में आयोजित प्रशिक्षण में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

6. हैचरी संचालन

- हैचरी संचालन की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी जो स्वयं एवं अधीनस्थ कर्मियों की देख रेख में चयनित मत्स्य बीज उत्पादकों/ मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के माध्यम से संचालित करायेंगे।
- हैचरी संचालन के समय संचालकों को कार्य-स्थल (हैचरी अधिष्ठापन स्थल) पर ही रहना होगा।
- हैचरी संचालन का कार्य मौसमी तथा समयबद्ध (time bound) होता है, अतः संचालन का कैलन्डर तैयार कर लेना होगा। प्रयास यह होना है कि मई माह से ही ब्रीडिंग शुरू हो जाए।

7. हैचरी संचालन के पूर्व आवश्यक तैयारी :

(i) माह फरवरी से समुचित मात्रा में ब्रूडर मछलियों की व्यवस्था कर ली जाए।

(ii) ब्रूडर मछलियों की उचित फीडिंग कराना सुनिश्चित किया जाय।

(iii) सामानयतः एक हैचरी से 05 करोड़ मत्स्य-स्पॉन का उत्पादन लक्षित किया जाना है। अतः एक हैचरी सिस्टम के लिए कम से कम 700 कि0ग्रा0 मादा मछली एवं 700 कि0ग्रा0 नर मछली की आवश्यकता होगी। स्थानीय तौर पर परिपक्व प्रजनकों की व्यवस्था कर ली जाय।

1448
18-10-17

284

(iv) उत्पादित स्पॉन का स-समय विपणन प्रमुख activity होगी। इसलिए व्यापक प्रचार तथा दूरभाष आधारित सूचना से ग्राहकों को तिथिवार पूर्व से सूचना दे दी जाय।

(v) अन्य सामग्री यथा पॉलीथिन बैग्स एवं ऑक्सीजन सिलिन्डर की व्यवस्था कर ली जाएगी।

8. तैयार स्पॉन का विपणन :

स्पॉन तैयार होने की तिथि का आकलन करते हुए जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा आस पास के मत्स्य बीज उत्पादकों को कम से कम चार पांच दिन पूर्व स्पॉन उठाव के लिए सूचित करेंगे।

9. पोर्टेबल हैचरी के समयोचित अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम:

संलग्न है जिसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आंशिक विचलन किया जा सकेगा।

18/10/17

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांक म0नि0-X-बैठक-61/2017-18-1448/मत्स्य/राँची, दिनांक 18/10/17

प्रतिलिपि : उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/ जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/10/17

निदेशक मत्स्य

झारखण्ड, राँची।